भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 105
दिनांक 31 जुलाई, 2024 / 9 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वित्तीय धोखाधड़ी के लिए बायोमीट्रिक क्लोनिंग

***105 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोमीट्रिक क्लोनिंग के माध्यम से की जा रही वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो बायोमीट्रिक क्लोनिंग के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए फर्जी बायोमेट्रिक्स के मुद्दे को हल करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *105 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण हेतु उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा बायोमीट्रिक क्लोनिंग के तहत दर्ज किए गए मामलों के संबंध में विशिष्ट आकंड़ों का रखरखाव अलग से नहीं किया जाता है। हालाँकि, अब तक, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर नागरिकों द्वारा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) धोखाधड़ी के तहत लगभग 29,000 घटनायें दर्ज की गई हैं।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) को एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया है।
ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *105

iii. आई4सी ने एईपीएस (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) धोखाधड़ी को रोकने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा एनसीआरपी पर बिजनेस कॉरपोरेट एजेंटों के खिलाफ रिपोर्टिंग करना, बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरपोरेट एजेंटों को ऑनबोर्ड करते हुए केवाईसी को सुदृढ़ बनाना, बिजनेस कॉरपोरेट एजेंटों द्वारा प्रत्येक लेनदेन के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की शुरूआत, एनपीसीआई के "एईपीएस धोखाधड़ी प्रबंधन" का एनसीआरपी के साथ एकीकरण और एईपीएस धोखाधड़ी की घटनाओं पर कार्रवाई करना शामिल है।

iv. एनपीसीआई ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नकद निकासी और भीम आधार पे के लिए अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह की संचयी एईपीएस सीमाएं निर्धारित करना, एईपीएस सदस्य बैंकों को विशिष्ट श्रेणियों के खातों के लिए एईपीएस सुविधा को बंद करने के लिए एडवाइजरी और एईपीएस डेबिट लेनदेन को चालू/बंद करने के लिए ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करना शामिल है।

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। 2023 में जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

vi. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

vii. भारत सरकार द्वारा अब तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 5.8 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,08,000 आईएमईआईएस ब्लॉक किए गए हैं।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *105

viii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट अर्थात एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, माईगव का कई माध्यमों से प्रचार हेतु उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना आदि शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रचार करने का अनुरोध किया गया है ताकि जन जागरूकता पैदा की जा सके।
